न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 180/पीबीआर/2002 विरूद्ध आदेश दिनांक 06.12.2001 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 173/2000-01/निगरानी.

---

1. हरनारायण पुत्र जालम लोधी
2. ज्ञानबाई पुत्री श्याम सिंह पत्नी हरनारायण
3. इन्द्रा पुत्र बल्ला
4. गुलाब पुत्र पन्ना
5. चऊआं पुत्र किशोरा
6. कलुआ पुत्र किशोरा

समस्त निवासीगण ग्राम हीरावल,

तह. चन्देरी, जिला गुना, म.प्र. .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. दल सिंह पुत्र रमले जाति लोधी
2. मृतक जुल्ले द्वारा वारिसान
   - I. श्रीमती विनियाबाई पत्नी स्व. जुल्ले
   - II. श्रीमती रूकमनी
   - III. श्रीमती राजरे
   - IV. श्रीमती सुकल पुत्रगण स्व. जुल्ले
   - V. महेश पुत्र स्व. जुल्ले
3. चुखिया पत्नी भंता बरेठा

   समस्त निवासीगण ग्राम हीरावल,

   तहसील चन्देरी, जिला गुना
4. म.प्र. शासन द्वारा पटवारी ग्राम हीरावल,

   तह. चंदेरी, जिला गुना, म.प्र. .....अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/2/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 06.12.2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, चंदेरी द्वारा आवेदकगण के हित में ग्राम हिरावल की भूमियों का विशेष उपबंध अधिनियम, 1984 के तहत प्रकरण क्र. 79/अ-19/94-95 में पारित आदेश दिनांक 26.04.1995 को व्यवस्थापन/भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किया गया है। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, चंदेरी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, किंतु उक्त अधिनियम में अपीलीय प्रावधान निहित न होने के कारण उक्त अपील वापस ली जाकर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी दिनांक 07.06.2001 को प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 06.12.2001 को आदेश पारित कर प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अनावेदकगण द्वारा उक्त तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अधिनियम में अपील का प्रोवीजन ना होने से अनावेदकगण द्वारा उक्त अपील वापस ली जाकर अपर आयुक्त के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई, जबकि उक्त अधिनियम के अनुसार निगरानी कलेक्टर के न्यायालय में प्रस्तुत की जाना थी, उक्त निगरानी अनावेदकगण द्वारा अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई थी, जिसके विलंब के संबंध में भी कोई आवेदन पत्र निगरानी के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया था और ना ही विलंब के संबंध में कोई उचित एवं पर्याप्त कारण ही बताया गया था। इसलिए प्रस्तुत निगरानी अवधि बाह्य होने से निरस्त किये जाने योग्य थी, किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानी को अवैधानिक रूप से स्वीकार किया गया।

(2) अपर आयुक्त के यहां प्रस्तुत निगरानी में आवेदकगण दलसिंह, जुल्ले, चुखिया तथा इस न्यायालय के यहां आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी में अनावेदकगण भूमिहीन व्यक्ति नहीं हैं और अनावेदकगण द्वारा कोई आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में तहसीलदार के यहां

भूमि के व्यवस्थापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी में अनावेदकगण को कोई हित व अधिकार तहसीलदार के यहां आपत्ति प्रस्तुत करने का नहीं था और ना ही उक्त व्यक्ति अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार थे। इसलिए उन्हें अपर आयुक्त के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने के संबंध में अनावेदकगण द्वारा कोई भी आवेदन पत्र निगरानी प्रस्तुत करने की अनुमति बावत् ही प्रस्तुत किया गया था, इन महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार किये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानी स्वीकार करने में अवैधानिक त्रुटि की है।

(3) आवेदकगण को तहसीलदार के आदेशानुसार भूमि स्वामी के अधिकार प्रदान होने के बाद उनका नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होने के बाद भू-राजस्व पुस्तिका भी प्रदान की गई है तथा उक्त भूमि उबड़-खाबड़ थी, जिसको आवेदकगण द्वारा धन व परिश्रम व्यय कर कृषि योग्य बनाई गई है व सिंचाई का साधन उपलब्ध कराया गया है और विवादित भूमि ही आवेदकगण के परिवार के भरण-पोषण एवं उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है, जिसे नजर अंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह निरस्त किया जाकर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।
अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अतः उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये हैं, जो कि (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के प्रावधानों व उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नियम 1986 के नियम 3, 4, 5 एवं 6 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन न कर नियमों का उल्लंघन है। संबंधित पटवारी द्वारा जानबूझ कर संधारित राजस्व अभिलेख के विपरीत प्रकरण में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है एवं विचारण न्यायालय में कथन अंकित कराये गये हैं व वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए अपात्र व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने का दुस्कृत किया गया है। इस प्रकार तहसीलदार एवं संबंधित

पटवारी द्वारा जानबूझ कर नियमों के विपरीत जाकर कार्यवाही की गई है, जिनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आदेश पारित करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2001 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर